

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा/बाढ़/2014/ 8750-53

जयपुर, दिनांक 12.8.14.

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :- मानसून के वर्तमान दौर में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, बांध, नहर, मकान, फसल एवं जनहानि पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत शीघ्र सहायता प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्र क्रमांक 6866 दिनांक 01.07.14, पत्र क्रमांक 7866 दिनांक 22.07.14 एवं पत्र क्रमांक 8287-8323 दिनांक 30.07.2014 के सन्दर्भ में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा समय-समय पर आपको अवगत कराया जाता रहा है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर अत्यधिक वर्षा से जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण न केवल सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) के क्षतिग्रस्त होने के सम्भावना रहती है, वरन जनहानि एवं निजी सम्पत्तियों (फसल, मकान आदि) की हानि की भी सम्भावना रहती है। इस प्रकार होने वाली क्षति में एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के तहत प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र सहायता प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, निजी सम्पत्तियों एवं जनहानि आदि के प्रकरणों का शीघ्र सर्वे कराया जाकर विभागीय परिपत्रों में प्रस्ताव शीघ्र विभाग को प्रेषित करें। साथ ही, आवासीय भवनों तथा वर्षा जनित हादसों में हुई जनहानि की सूचना भी इस विभाग को समय-समय पर प्रेषित करें।


संलग्न :- प्रपत्र संख्या 1 से 3 तक।

भवदीय


शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रपत्र-1 (सार्वजनिक सड़कों की क्षति)

तहसील.....

क. सं.	क्षतिग्रस्त रोड़ का नाम मय लोकेशन	रोड़ का वर्गीकरण VR/NH/SH/MDR/Other	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा (तिथिवार)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड़ के संबंध में जानकारी					प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है / नहीं	मरम्मत हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	मरम्मत हेतु उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.	विशेष विवरण
						क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (.....किमी से किमी..... तक)	शहरी सड़क / सामान्य सड़क	रोड़ की वास्तविक चौड़ाई (मीटर में)	दर (राशि लाखों में) (एसडीआरएफ) मानदण्डों अनुसार (1.44 / 1.08 / 0.75 / 0.55)	कुल प्रतिपूर्ति योग्य राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र-2 (पेयजल आपूर्ति तन्त्र की क्षति)

तहसील.....

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति (बांध/नहर/अन्य) का नाम	सम्पत्ति का विवरण मय लोकेशन	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ष (m.m.) (तिथिवार)	क्षति का मुख्य कारण	क्षति की प्रकृति एवं विवरण	अस्थाई पुनर्स्थापन हेतु दर (राशि लाखों) (एसडीआरएफ) मानदण्डों अनुसार	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	मरम्मत हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	मरम्मत हेतु उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट :- क्षतिग्रस्त बांध/नहर का उपयोग पेयजल/सिंचाई कार्यों हेतु निरन्तर लिया जा रहा है तथा इसके क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

(बाढ़/जलप्लावन/जलभराव से हुई जन हानि का विवरण)

जिला.....

क. सं.	मृतक का नाम	ग्राम (तहसील) का नाम	मृतकों की संख्या	मृत्यु का कारण	मृत्यु की दिनांक	दी गई सहायता का विवरण	यदि सहायता नहीं दी गई तो उसके कारणे	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9